न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 57/2024

श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री धन्नासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमति बदामी पत्नि श्री भागचन्द, जाति रावत, निवासी नई बस्ती, ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर
2– श्री सोहन सिंह पुत्र श्री अन्नासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर
3– श्री नारायण सिंह
4– श्री चंदन सिंह
पुत्रगण स्व0 श्री गंगाराम
5– श्रीमति शांति देवी पुत्री स्व0 श्री गंगाराम
समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–
1– श्री अभिषेक शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री शाहबुद्दीन, वकील अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक–27.05.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 08.07.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नई बस्ती ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर स्थित वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 44 कुल रकबा 04–12–00 बीघा के खातेदार स्व0 श्री गंगाराम पुत्र हीरा जी थे। उक्त आराजी के नये खसरा संख्या 287 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा संख्या 288 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं खसरा संख्या 289 रकबा 0.1800 हैक्टर कायम किये गये। उक्त आराजी में से स्व0 श्री गंगाराम द्वारा दक्षिण दिशा की भूमि रकबा 00–12–00 बीघा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17.04.2006 को विक्रय कर दिया। इसके पश्चात दिनांक 24.05.2006 उक्त आराजी में से रकबा 03–12–00 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया, जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात विवादित आराजी में से दिनांक 16.10.2008 को 200.41 वर्ग गज भूमि का बेचान अप्रार्थिया संख्या 1 को किया गया। हाल जमाबन्दी अनुसार उक्त तीनों खसरा नंबरान में से खसरा संख्या 2283/287 रकबा 0.0700 हैक्टर में 29/37 हिस्सा, खसरा संख्या 2290/287 रकबा 0.2000 हैक्टर में 29/37 हिस्सा, खसरा संख्या 288 रकबा 0.2000 हैक्टर में 29/37

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

हिस्सा, खसरा संख्या 2291/287 रकबा 0.0900 हैक्टर में 29/37 हिस्सा, खसरा संख्या 289 रकबा 0.1800 हैक्टर में 29/37 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, जिसमें से खसरा संख्या 2291/287, 2290/287 व 2283/287 में से बनाये गये हैं, इसलिये खसरा संख्या 287 की कुल आराजी का एक साथ उल्लेख किया गया है। प्रार्थी क्रय दिनांक से अपने हिस्से की आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज एवं काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण आये दिन गैर कानूनी रूप से दखलंदाजी व मदाखलत करते रहते हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 20.06.2024 को उनके हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी व मदाखलत नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार आपसी सहमति से तहसील में उपस्थित होकर बंटवारा करवाने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने वाद पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान एवं दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, आराजी को किसी भी बैंक/संस्था/सोसायटी में रहन रखकर ऋण इत्यादि प्राप्त नहीं करने, आराजी का बेचान, मुन्तकिल नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, चाकर, एजेन्ट, एसाईनीज, रिश्तेदारान इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील श्री शाहवुद्दीन उपस्थित हुए। उन्होने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि प्रार्थी का कथन इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने विवादित आराजी खसरा संख्या 44 कुल रकबा 04–12–00 बीघा में से दक्षिण दिशा की ओर वाली भूमि रकबा 00–12–00 बीघा भूमि दिनांक 17.04.2006 को श्री गंगाराम पुत्र श्री हीरा से जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। तब से ही अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा व दखल चला आ रहा है एवं क्रय दिनांक से ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम अंकित होकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 का पृथक हक व हिस्सा है एवं क्रयशुदा आराजी पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का ही चला आ रहा है। प्रार्थी के कथनानुसार वह अपने हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है तो यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक, अधिकार व सरोकार प्रार्थी को नहीं रह जाता है। दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने विवादग्रस्त आराजी का दक्षिणी भाग क्रय किया है तो बंटवारा करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए व साक्ष्य एकत्रित करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी पर कब्जा करने व कब्जे से बेदखल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने मूल खातेदार श्री गंगाराम पुत्र हीरा से विवादित आराजी की दक्षिण हिस्से वाली भूमि क्रय की है तो वर्तमान वाद में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 व 5 से कोई सरोकार शेष नहीं रह जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 का अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण ना तो बनता है एवं ना ही वह किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

हमने विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों अर्थात तीनों घटकों का अध्ययन करने के उपरान्त उनके परिपेक्ष्य में निर्णय निम्नानुसार है:-

1. प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व 2. सुविधा का संतुलन :- विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत संयुक्त खातेदार को अपने सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर कानूनन अधिकार होता है। प्रार्थी विवादित आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खातेदारी में प्रार्थी का हक हिस्सा निर्धारित है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु उन्होने पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। अप्रार्थीगण भी उक्त आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है व उनका हक हिस्सा भी निर्धारित है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक का राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अंकित है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी सुविधा के अनुसार मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी सिद्ध नहीं कर पाये हैं एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

3. अपूर्णीय क्षति:- प्रार्थी स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं एवं मौके पर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु.)अजमेर
अजमेर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर